रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D.(D)-73

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10, 1976/पौष 20, 1897
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10, 1976/PAUSA 20, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)**

### योजना आयोग

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग, निदेशक (परियोजना मूल्य निरूपण) भर्ती नियम, 1975 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम योजना आयोग, निदेशक (परियोजना मूल्य निरूपण) भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. योजना आयोग, निदेशक, (परियोजना मूल्य निरूपण) भर्ती नियम, 1975 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| निदेशक (परियोजना मूल्य निरूपण) | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1 (राजपत्रित) | 1800-100-2000 रु० | लागू नहीं होता | 45 वर्ष से अधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) | आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी या सक्रिया विज्ञान या विज्ञान में मास्टर की उपाधि या किसी इंजीनियरी विज्ञान में उपाधि समतुल्य। |

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1975

**सा० का० नि० 62.**—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये 1 मार्च, 1976 को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में,—

(i) नियम 18 में, खण्ड (घ) में "पुनः—मिलाना या पुनः भेजना (नियम 103)"—

"TC—Collation or repetition (Rule 103)"

का लोप किया जाएगा;

(ii) नियम 103 और 104 का लोप किया जाएगा ।

[35-39/75-टी०-2]

New Delhi, the 24th December, 1975

**G. S. R. 62.**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Seventh Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of March, 1976.

2. (i) In rule 18, in clause (d), the letters, words, signs and figures, "पुनः—मिलाना या पुनः भेजना"

"TC—Collation or repetition (Rule 103)" shall be omitted ;

(ii) rules 103 and 104 shall be omitted.

[No. 35-39/75-T2]

**सा०का०नि० 63.**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय तार (छठी संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये 1 मार्च, 1976 को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में,—

(1) नियम 18 में, "(घ) सेवा निर्देश और औपचारिक संकेत" शीर्षक के अधीन, निम्नलिखित शब्दों, संकेतों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा :—

"तक—जब तक मांगा न जाए तारघर में ही रखा जाए (नियम 88)" और

"TR—To be kept at telegraph office till called for (Rule 88)"

"तक—जब तक मांगा न जाए डाकघर में ही रखा जाए (नियम 88)" ।

"GP—To be kept at post office till called for (Rule 88)"

(2) नियम 88, नियम 111, नियम 112 और नियम 113 का लोप किया जाएगा ।

[सं० 35/40/75-टी०-2]

रामपद बनर्जी, सहायक महानिदेशक (तार यातायात)

**G.S.R. 63.**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Sixth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of March, 1976.

2. In the Indian Rules, 1951,—

(1) in rule 18, under the heading "(d) Service Indications and Conventional Signs, the words, signs, brackets and figures".

"TR—To be kept at Telegraph office till called for (Rule 88)" and

"GP—To be kept at Post Office till called for (Rule 88)"

shall be omitted.

(2) rule 88, rule 111, rule 112 and rule 113 shall be omitted.

[No. 35/40/75-T-2]

R. P. BANERJEE, Assistant Director General (T)

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1975

**सा० का० नि० 64.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची में, क्रम संख्या 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां लुप्त की जायेंगी ।

[फा० सं० 1/3/75-बी० (ए०)]

राधाकृष्ण खट्टर, अवर सचिव

## MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 19th December, 1975

**G.S.R. 64.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Post) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, serial number 16 and the entries relating thereto, shall be omitted.

[F. No. 1/3/75-B(A)]

R. K. KHATTAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1975

**सा० का० नि० 65.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति केन्द्रीय सूचना सेवा

नियमावली, 1959 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्न-लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय सूचना सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र के प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 में, अनुसूची 1 में, कालम 1 के अन्तर्गत 'आकाशवाणी' की प्रविष्टि के सम्मुख कालम 2 के अन्तर्गत उप-सम्पादक (मानिटरिंग) की प्रविष्टि लुप्त की जायेगी।

[फा० संख्या 1/20/68-सी० आई० एस० संशोधन संख्या-70]
एस० रामास्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd December, 1975

**G.S.R. 65.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Information Service Rules, 1959, namely :—

1. (1) Theses rules may be called the Central Information Services (Fourth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Information Service Rules, 1959, in Schedule I, against the entry "All India Radio" in column 1, the entry "Sub-Editor (Monitoring)" in column 2 shall be omitted.

[F. No. 1/20/68-CIS Amendment No. 70]
S. RAMASWAMY, Under Secy.

## श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1975

सा० का० नि० 66.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी (निवास स्थानों का आबंटन) नियम, 1972 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी (निवास स्थानों का आबंटन) (———संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि, केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी (निवास स्थानों का आबंटन) नियम, 1972 में,—

(i) नियम 5 में की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जायेगी, अर्थात् :—

सारणी

| निवास-स्थान की टाइप | कर्मचारी की मासिक उपलब्धियां, जो उस आबंटन वर्ष, जिसमें आबंटन किया जाता है के प्रथम दिन को थी |
|---|---|
| 1 | 2 |
| I | 260 रुपये से कम। |
| II | 500 रुपये से कम किन्तु 260 रुपये से कम नहीं। |
| III | 700 रुपये से कम किन्तु 500 रुपये से कम नहीं। |
| IV | 1000 रुपये से कम किन्तु 700 रुपये से कम नहीं। |
| V | 1650 रुपये से कम किन्तु 1000 रुपये से कम नहीं। |
| VI | 2500 रुपये से कम किन्तु 1650 रुपये से कम नहीं। |
| VII | 2500 रुपये और उससे अधिक। |

(ii) नियम 7 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) यदि केन्द्रीय आयुक्त की राय में, कर्मचारी के अधिभोग में के निवास स्थान पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये लिया जाना अपेक्षित हो तो केन्द्रीय आयुक्त कर्मचारी के विद्यमान आबंटन को रद्द कर सकेगा और उसे उसी टाइप का आनुकल्पिक निवास स्थान या कर्मचारी के अधिभोग में के निवासस्थान की टाइप से निचली टाइप का आनुकल्पिक निवासस्थान आबंटित कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) मरम्मत;

(ख) पुनर्विकास;

(ग) भंजन।

(iii) नियम 20 में, उपनियम (5) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

परन्तु कोई भी ऐसी कार्रवाई, कर्मचारी को, प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने के लिये लिखित रूप में सूचना दिये बिना और सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दिये गये अभ्यावेदन पर विचार किये बिना नहीं की जायेगी"।

(iv) नियम 20 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"20 क अपील—नियम 20 के अधीन केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई भी कर्मचारी उस तारीख से जिसको उस आदेश की प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, उस पर तामील की जाये, 45 दिन के भीतर, अध्यक्ष को अपील कर सकेगा"।

(v) नियम 23 में, "केन्द्रीय आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, केन्द्रीय सरकार" शब्द रखे जायेंगे।

(vi) अनुसूची (क) में, "वेतन रेंज", और "टाइप" शीर्षकों और इन शीर्षकों के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

| वेतन रेंज | निवास-स्थान की टाइप |
|---|---|
| "2500 रुपये और उससे अधिक | VII |
| 1650—2499 रुपये | VI |
| 1000—1649 रुपये | V |
| 700—999 रुपये | IV |
| 500—699 रुपये | III |
| 260—499 रुपये | II |
| 260 रु० प्रतिमास से कम | I" |

[जैड-17011(7)/74-पी० एफ०-1]
एस० एस० सहस्रानामन, उप सचिव